राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।
टेलीफैक्स :– 0141–2222403, ई–मेलः–dlbrajasthan@gmail.com वेब साईटः– www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक :– एफ 55( )Engg./CE/DLB/ बजट घोषणा / 18/69058-69071 दिनांक :–09/08/2018

स्वीकृति आदेश

माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा की गयी बजट घोषणा वर्ष 2018–19 की क्रियान्वति के क्रम में राज्य के समस्त नगर निकाय क्षेत्रों में अम्बेडकर भवन निर्माण / सार्वजनिक शौचालय निर्माण / श्मशान एवं कब्रिस्तानों का विकास एवं सड़को व नालियों की मरम्मत से सम्बन्धित कार्यो की क्रियान्विति की जा रही हैं। इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा दिनांक 02.07.2018 को आयोजित बैठक में दिये गये निर्देशों की पालना में नगर निगम, जयपुर क्षैत्र में चारों दिशाओं में क्रमशः बी.टू. बायपास (सांगानेर जोन) गोविन्दपुरा श्मशान (सिविल लाईन जोन) लालडूंगरी (हवामहल पूर्व जोन) एवं रेल नगर, निर्माण नगर (मानसरोवर जोन) में एक–एक गैस आधारित आधुनिक श्मशान गृह स्थापित करने हेतु (प्रति गृह राशि रू. 6.20 करोड़ की लागत से) कुल राशि रू. 24.80 करोड़ व्यय करने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति नीचे वर्णित शर्तो के अध्यधीन प्रदान की जाती है।

शर्तेः–

1. उक्त शवदाह गृहों में निर्माण पर अनुमानित व्यय राशि रू. 24.80 करोड़ की व्यवस्था RUIRP-II प्रोजेक्ट के अन्तर्गत हड़को से प्राप्त ऋण राशि में से नगर निगम, जयपुर को राशि रू. 24.80 करोड़ का अतिरिक्त आवंटन किया जाता है।
2. शवदाहगृह के चारों स्थानों पर स्थान विशेष की परिस्थितियों एवं Soil Conditions के आधार पर पृथक–पृथक डी.पी.आर. कोयम्बटूर के डिजाईन के आधार पर बनानी होगी।
3. डीपीआर / कन्सलेन्सी की लागत प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत राशि रू. 24.80 करोड़ (प्रति शवदाह गृह राशि रू. 6.20 करोड़) में सम्मलित है।
4. कार्यो के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में आरटीपीपी एक्ट 2012 / नियम 2013 के नियमों / उपबन्धों की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जायेगी।
5. आवंटित ऋण राशि का उपयोग उक्त निर्धारित कार्य / प्रयोजन में ही किया जायेगा।

उक्त स्वीकृति सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक :– एफ 55( )Engg./CE/DLB/ बजट घोषणा / 18/69058-69071 दिनांक :–09/08/2018

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वा0 शासन विभाग राज0 जयपुर।
5. महापौर, नगर निगम, जयपुर।
6. जिला कलक्टर, जयपुर ।
7. आयुक्त, नगर निगम, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा दिये गये निर्देशो की पालना में उक्त कार्यो को अविलम्ब सम्पादित करवाने की सुनिश्चितता करावें।
8. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
9. कार्यकारी निदेशक, रूडसिकों, लालकोटी स्कीम, जयपुर ।
10. मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय।
11. उपनिदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
12. मुख्य अभियन्ता, नगर निगम, जयपुर।
13. प्रभारी वेबसाईट / समन्वयक सी.एम.ए.आर. को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
14. रक्षित पत्रावली।

09/08/18
(भुपेन्द्र माथुर)
मुख्य अभियन्ता